आइये एक नए संघटन और आंदोलन की नींव रखे

सामाजिक प्रष्ठभूमि : भारत संभवतः दुनिया का एक मात्र ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक समाज **(15%)** हजारो वर्षो से बहुसंख्यक समाज **(85%)** पर शाशन और उनका शोषण करता आ रहा है। देश का सामाजिक ढांचा एक ऐसे कीटाणु से ग्रसित रहा है जिसका नाम 'जातिवाद' है। यह जातिवाद न केवल अनंत सामाजिक बुराइयों का जनक है बल्कि देश में बहुसंख्यको की पराधीनता का प्रमुख कारन भी रहा है। इस जातिव्यवस्था के जनक ब्राह्मणवाद ने शास्त्रों के षड़यंत्र से यह सुनिश्चित किया कि समाज में गैरबराबरी, गुलामी और अन्याय कायम रहे और बहुसंख्यक लोगों के विरुद्ध अमानवीय भेदभाव होता रहे जबकि अल्पसंख्यक लोग सभी प्रकार के विशेषाधिकार एवं सुख सुविधाओं का उपभोग करते रहे। यही ब्राह्मणवाद देश में महिलाओं के दमन का माध्यम रहा है। जातिवाद और पितृव्यवस्था की दोहरी मार से उसने महिलाओ को हमेशा प्रताड़ित और पिछड़ा बनाये रखा है। आज की अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग में आनेवाली जातियां और इन जातियों से अन्य अल्पसंख्यक धर्मो में धर्मान्तरित लोग सभी उस 'बहुसंख्यक'समाज का हिस्सा है जिसे हमारे आदर्श नेतृत्वकर्त्तोओं ने 'बहुजन'नाम से सम्बोधित किया है। यह बहुजन शतकों से समाज की सबसे निचली पायदान पर धकेले गए और उन्हें बुनियादी मानवाधिकारों से भी वंचित रखा गया जिससे वे आज तक पिछड़े बने हुए है।

भारत के आधुनिक इतिहास में, उन्नीसवीं सदी के उत्तर्रार्ध से ही बहुसंख्यको की दयनीय स्थिति को सुधरने के प्रयास हुए जिन्होंने बहुजनो को एक आशा की किरण दिखाई। ज्योतिबा फुले, डॉ आंबेडकर, पेरियार, एवं अन्य मानवता के रखवालों ने अपने अथक प्रयासों से बहुजनो की प्रतड़ना एवं दुखो को कुछ हद तक कम किया लेकिन फिर भी 'ब्राह्मणवाद'का दैत्य समाप्त नहीं हुआ है। भारत का संविधान जातिवाद की बुराइयों और उसके दुष्परिणामों से लड़ने का और समता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना का सबसे प्रबल शस्त्र है। परन्तु उक्त संवैधानिक मूल्यों में विश्वास न रखने वाले. जातिवादी मानसिकता से ग्रसित शाषणकर्ताओं ने आज तक संविधान को पूर्ण एवं सही तरीके से अमल में नहीं लाया है। आज ऐसी शाषणकर्ता ताकते जितनी ताकतवर है उतनी पहले कभी नहीं रही है।

अब तक के प्रयास : स्वतंत्र भारत में , विशेषकर 1970 के दशक के बाद जाति व्यवस्था को नष्ट करने एवं स्वतंत्रता, समानता, न्याय और भाईचारे पर आधारित समाज व्यवस्था स्थापित करने के अनेक उल्लेखनीय प्रयास हुए । ऐसी संस्थाए बहुत हद तक बहुजन (जाति व्यवस्था के पीड़ित) लोगो को फुले –आंबेडकर विचारधारा से परिचित कराने एवं छः हजार से भी अधिक पीड़ित जातियों को एक साथ लाने की आवश्यकता को समझाने में सफल रहे है । परन्तु इनमे से कोई भी राष्ट्रीय स्तर का संघटन या आन्दोलन जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाला या उल्लेखनीय बदलाव लाने में सफल नहीं हो सके । उनमे से अधिकतर या तो बहुत सिमित उद्देशों के लिए या फिर बहुत छोटे स्तर पर अल्प समय के लिए ही अस्तित्व में रहे और उस आदर्श समाज व्यवस्था को स्थापित करने में विफल रहे जिसकी कल्पना संविधान में की गयी है ।

ब्राह्मणवाद का बढ़ता प्रभाव : ब्राह्मणवाद ऐसा शब्द है जो उन सभी सामूहिक ताकतों को दर्शाता है जो उक्त संवैधानिक मूल्यों के विरुद्ध विचारधारा को बढ़ावा देती है और क्रियाशील रहती है । सामाजिक स्तर पर वे धर्म के नाम पर लोगो को हिंदुत्व एवं अन्धविश्वास के नशे में डुबो रहे है जिससे पीड़ित लोगो को उनकी पीड़ा का अहसास न हो और जातिवाद अधिक मजबूत हो । राजनीतिक स्तर पर वे तानाशाही पर उतारू है जो संविधान को निष्प्रभावी बनाने के लिए प्रयासरत है । अर्थव्यवस्था के स्तर पर अमिर दिन बा दिन अमिर होता जा रजा है और

गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है । सरकार का निरंतर सिमटता स्वरुप और कम होती नौकरियां आरक्षण के माध्यम से OBC, SC एवं ST को मिलने वाले प्रतिनिधित्व के संवैधानिक प्रावधान को निष्प्रभावी बनती जा रही है । देश में संघटित निजी व्यवसाय पूर्ण रूप से ब्राह्मणवादी पूंजीवाद पर चलता है और देश की सरकारों को प्रभावित करते हुए बहुजनो के हितो के विरुद्ध कार्य कर रहा है । आज शहरो में निजी क्षेत्र में और गाँव में हो रहे जातीय भेदभाव के स्वरुप एवं प्रकार उनके पूर्व के स्वरुप से कम अमानवीय या कम हानिकारक नहीं है । संविधान के माध्यम से आज जो थोडा बहुत सामाजिक सुरक्षा का अस्तित्व है वह भी खतरे में आता दिखाई दे रहा है। धार्मिक स्तर पर ब्राह्मणवादी उग्र संघटनो को खुली छुट दे दी गयी है और वे हर प्रकार की नागरिक स्वतंत्रता को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे है। यहाँ तक की लोग क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, क्या बोले, इस प्रकार के बुनियादी मानवाधिकार भी लोगो से छिनने का प्रयास ये ब्राह्मणवादी संघटन कर रहे है।

मौजूदा आन्दोलन की कमियां : आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि अमानवीय ब्राह्मणवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कोई भी ताकत या संघटन नहीं दिखाई दे रहा है। और कही कुछ संघटन है भी तो वे इतने कमजोर और बिखरे हुए है कि वे ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए आवश्यक सामर्थ्य नहीं जूटा सकते । पर आज यह आवश्यक हो गया है कि हम हमारे लिए और आनेवाली पीढ़ियों के लिए ऐसा सामर्थ्य हासिल करे और ब्राह्मणवाद के दैत्य के विरुद्ध लड़े, और जितने के लिए लड़े । इसमें कोई दोमत नहीं है कि आज के बहुजन समाज को एक ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक जन आन्दोलन की आवश्यकता है जो हमारे आदर्श समाज की स्थापना के सपने को पुनः संभव बना सके। ऐसा जनांदोलन केवल उन्ही लोगो द्वारा चलाया जा सकता है जो इसी पीड़ित समाज से आते है। ब्राह्मणवादी तथाकथित उच्च जातियों से यह अपेक्षा करना केवल मुर्खता है और उनके द्वारा चलाये जा रहे संघटनो को समर्थन देना खुदखुशी करने जैसा है। अतः हमें ऐसा संघटन और आन्दोलन खड़ा करने की जरुरत है जो पूर्व की गलतियों से सीख ले, बहुजन समाज में उपलब्ध प्रतिभावों का उपयोग करे और युवाओं की उर्जा पर चले।

नए जनांदोलन की आवश्यकता : हम संवैधानिक मूल्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ऐसे संघटन और उसके माध्यम से एक जनांदोलन का खड़ा करने का प्रयास कर रहे है जो संघटनात्मक रूप मजबूत हो और नए तरीको से काम करे। इस संघटन और आन्दोलन का नाम अभी तय नहीं किया गया है पर परिचय के रूप में हम इसे 'आन्दोलन २१' या 'मूवमेंट 21' कह रहे है। हम एक ऐसे संघटन के बारे में सोच रहे है जो इक्कीसवी सदी का हो, जो आने वाले कई दशकों तक कार्य करता रहे, जो राष्ट्रव्यापी हो, और जो देश की जनता को अमानवीय एवं बर्बर ब्राह्मणवाद के विकल्प के रूप में एक मानवतावादी, व्यवस्था दे। हम एक ऐसे संघटन के बारे में सोच रहे है जो सामूहिक एवं संस्थागत नेतृत्व पर आधारित हो न की किन्ही एक या दो चमत्कारिक नेतृत्वकर्ताओं पर । यह एक ऐसा संघटन होगा जिसमे सही मायनों में क्षेत्रीय, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक और लिंगात्मक विविधता होगी। ऐसा संघटन जो तेजी से बदलते सामाजिक – आर्थिक – तकनिकी- राजनितिक परिदृश्य के आधार पर अपने आप को बदलने की क्षमता रखता हो। एक ऐसा संघटन जो दुनिया में हो रहे वैश्वीकरण के प्रभावों को समझता हो, और जो दुनिया में हो रहे इसी प्रकार के आन्दोलनों को समझकर उनसे सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापित कर सके। एक ऐसा संघटन जो समाज में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रो में प्रतिभाओं की पहचान करे और उन्हें सामाजिक आन्दोलन से जुड़ने का मंच प्रदान करे। एक ऐसा संघटन जो युवाओं की क्षमता पर जोर देता हो और उनकी उर्जा पर चले, इसलिए कि आज हमारे देश की औसत आयु 27 वर्ष है और देश की 65 % आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। एक ऐसा संघटन जो आतंरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देता हो, समाज में उपलब्ध स्थानीय नेतृत्व की

पहचान करता हो और उसे प्रोत्साहित करता हो और जो संघटन के भीतर दो-तर्फा संवाद में विश्वास रखता हो । एक ऐसा संघटन जो अत्याधुनिक तकनिकी और सोशल मीडिया का उपयोग करता हो। ऐसा संघटन जो धरातल पर कार्य करे और नतीजे दे और जो सामान विचारधारा पर काम करने वाले अन्य संघटनो के साथ मिलकर कार्य करने के लिए तैयार हो।

नया संघटन और नया आन्दोलन क्यों ? : इस प्रकार की पहल पर उठने वाले सबसे आम प्रश्न यह होते है कि 'और एक नया संघटन क्यों ?' या 'किसी मौजूदा संघटन में शामिल होकर उसे ही क्यों न बढाया जाये ?' इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न के रूप में ही दिया जा सकता है। 'क्या आप किसी ऐसे मौजूदा संघटन का नाम बता सकते है जो उपरोक्त सभी आधार मूल्यों पर खरा उतरता हो ?' हमें इस प्रश्न का उत्तर पूरी ईमानदारी के साथ देना चाहिए और यदि उत्तर 'नही' में आता है तो हमारे आमंत्रण पर विचार करना चाहिए।

कारवां आगे बढ़ाना है : आज हम आजाद भारत के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर है। इस प्रकार के संघटन और आन्दोलन की इससे अधिक आवश्यकता कभी नहीं रही है और नहीं परिस्थितियां कभी इतनी अनुकूल रही है। हम इस अवसर को खोने का नुकसान उठाने की स्थिति में नहीं है। हम ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव और बहुजनो पर उसके दुश्परिनामो को केवल मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते। इसलिए आईये हम सब एक साथ मिलकर कार्य करे और हमारे लिए एवं हमारी आनेवाली पीढ़ियों के लिए एक आदर्श भारत का निर्माण करे । जैसा की डॉ आंबेडकर ने कहा था 'हम निरंकुशता को हमें गुलाम बनाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते ।

'मूवमेंट-2' फाउंडेशन टीम (कृपया संपर्क हेतु ईमेल भेजे movement.c21@gmail.com)